न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश (अवर खण्ड) मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी

मूल वाद सं० 154/2018 माधुरी बनाम विद्या देवी आदि

दिनांक- 16.07.2018 **निस्तारण संशोधन प्रार्थना-पत्र 16 क [1]**

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया. उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता हाजिर. वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 16 क [1] मय शपथ-पत्र 17 ग [2] दाख़िल किया गया. विपक्षी अभी हाजिर नहीं हुए हैं. प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता की बहस को मेरे द्वारा सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन के आधार पर यह विदित है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 16 क [1] प्रस्तुत कर त्रुटिवश प्रतिवादी सं० 2 का नाम संतराम के स्थान पर सन्तकुमार टाइप हो जाने का कथन करते हुए उसे जरिये संशोधन दुरुस्त करने की अनुमति देने की प्रार्थना की गयी है. संशोधन प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र से समर्थित है. प्रस्तावित संशोधन प्रार्थना पत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाना वाद में अंतर्ग्रस्त प्रश्नों के पूर्ण व प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थना-पत्र 16 क [1] पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना-पत्र 16 क [1] स्वीकार किया जाता है। अपेक्षित संशोधन आज ही किया जाए। वादी सही नाम से प्रतिवादी सं० 2 पर समन व नोटिस के लिए पैरवी अन्दर 3 दिन करे. पत्रावली वास्ते वादोत्तर/वाद-बिंदु दि० 30/07/2018 को पेश हो।

दिनांक- 16.07.2018 प्रमोद सिंह यादव

व्यवहार न्यायाधीश (अवर खण्ड) मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी